संख्या- 2/2015/25/57-2015-51(जी)/2013टी0सी0-II

प्रेषक,

श्री नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0 प्र0 पर्यटन निदेशालय,
लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ दिनांक:30 जनवरी, 2015

विषय: भारतीय रेल के आई0आर0सी0टी0सी0 के सहयोग से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार व ऋषिकेश की नि:शुल्क यात्रा कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन की विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या- 948/57-2015-51(जी)/2013 दिनांक: 24 दिसम्बर, 2014 एवं तदविषयक मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आई0आर0सी0टी0सी0, लखनऊ के पत्र संख्या-2013/आई0आर0सी0टी0सी0/आर0ओ0/एल0के0ओ0/टूर/यू0पी0जी0, दिनांक- 23-12-2014 एवं पत्र संख्या-2013/आई0आर0सी0टी0सी0/आर0ओ0/एल0के0ओ0/टूर/यू0पी0जी0, दिनांक- 13-01-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 में आई0आर0सी0टी0सी0 के सहयोग से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार व ऋषिकेश की नि:शुल्क यात्रा कराये जाने हेतु कुल रू0 65,00,000.00 (कुल रूपये पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक-2250- अन्य सामाजिक सेवायें-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-05- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कपया उक्त धनराशि में से रू0 34,59,230/- (30,09,230/ एवं 4,50,000/-) (रूपये चौत्तीस लाख उनसठ हजार दो सौ तीस मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में आई0आर0सी0टी0सी0 के पक्ष में करने का कष्ट करें तथा आई0आर0सी0टी0सी0 की अपेक्षानुसार शेष धनराशि रू0 30,09,230/- (रूपये तीस लाख नौ हजार दो सौ तीस मात्र) का भुगतान भी दिनांक-08-02-2015 तक आई0आर0सी0टी0सी0 के पक्ष में करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा प्रदत्त आदेश संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक- 22-07-2014 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2/2015/25(1)/57-2015-51(जी)/2013टी0सी0-II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0 प्र0 शासन।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आई0आर0सी0टी0सी0, लखनऊ।
5- सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
6- विभागीय आदेश पुस्तिका।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।